न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 128/2022(2022/)

1. अनोपी देवी पत्नी गोकल जाति कीर।
2. बदरी लाल पुत्र गोकल जाति कीर।
   निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर। ---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर। ---- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-
प्रार्थी वकील :- श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 28.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
12-10	1088/5227	0.50	बारानी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.50	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजीयात का दिनांक 03.6.2022 को, श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश से सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु फिर भी पडौसी खातेदार भंवरलाल, महावीर, पिसरान लाला कुमावत निवासीगण नयागांव ने प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा कर रखा है जिन्हे कब्जा हटाने हेतु पावन्द किया गया था परन्तु आज दिन तक कब्जा नही हटाया गया है व लडाई झगडा करने पर आमादा है। उक्त कारण से प्रार्थीगण की आराजीयात के स्थायी सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे के स्थायी सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में किसी प्रकार से आराजीयात के सीमा के बाबत विवाद पैदा न हो। जिससे स्थायी सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया है प्रतिवादी वाद वर्णित आराजीयात के लेण्ड लोर्ड है व आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान करते है जिसको उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 03.6.2022 को प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान कराने के उपरान्त खेत हांकते समय उत्पन्न हुआ व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान किये जाने हेतु प्रतिवादी को

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आदेश व निर्देश दिया जावे कि वह नियमानुसार वाद वर्णित आराजीयात की मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति स्थायी सीमाज्ञान किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 12–10 के खसरा संख्या 1088/5227, रकबा 0.50हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner